राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में

सार्वजनिक सूचना

(1) **गैर सरकारी विद्यालयों के लिए**

- सत्र 2016–17 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश 30.03.2016 को जारी कर दिये है, जो आरटीई वेब पोर्टल (www.rte.raj.nic.in) पर उपलब्ध है। विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही सम्पन्न करने हैं।
- गैर सरकारी विद्यालयों के लिए आरटीई वेब पोर्टल पर पंजीकरण एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए समस्त प्रविष्टियॉ करना अनिवार्य एवं बाध्यकारी है। पहले से पंजीकृत समस्त विद्यालयों को 11.04.2016 तक विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है।
- आरटीई वेबपोर्टल पर लॉगिन हेतु पीएसपी यूनिक कोड की नयी व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके लिए पोर्टल पर पहले से पंजीकृत विद्यालयों को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर पीएसपी यूनिक कोड भेजा जा रहा है तथा नवीन पंजीकरण कराने वाले विद्यालयों को यह कोड पंजीकरण के समय ही मिल जाएगा।
- विद्यालयों को उनकी एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "कमजोर वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के उसी कैचमेन्ट एरिया में निवास करने वाले बालकों को ही निःशुल्क प्रवेश देना होगा।
- विद्यालय ऑफ लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों तथा सलंग्न आवश्यक दस्तावेजों की जॉच कर लें तथा आरटीई वेब पोर्टल पर तत्काल प्रविष्ट कर दें। आवेदन प्राप्ति की रसीद अभिभावक को अवश्य दें। सत्र 2016–17 के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।
- केन्द्रीयकृत लॉटरी द्वारा वरियताक्रम निर्धारण के बाद ऑन लाइन व ऑफ लाइन प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों में से बालकों को प्रवेश देने से पूर्व पात्रता की सावधानीपूर्वक पुनः जॉच कर लें तथा अभिभावकों से प्राप्त सहमति के आधार पर विद्यालय में प्रवेश दें।
- आवेदन पत्र की प्रविष्टि के समय बालक के ग्राम/वार्ड की गहनता से जॉच कर ले तथा इसी के आधार पर वरीयता के विकल्प का चयन करें।
- विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित टाइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है :–

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
	विज्ञापन जारी करना	5 अप्रेल तक	राज्य सरकार / निजी विद्यालय
1	विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	11 अप्रेल तक	संबंधित निजी विद्यालय
2	आवेदन पत्रों का वितरण	19 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
3	आवेदन पत्र प्राप्ति	20 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
4	आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की विद्यालयों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रविष्टि करना	25 अप्रैल तक	संबंधित निजी विद्यालय
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	25 अप्रैल तक	संबंधित अभिभावक
6	ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता कम निर्धारण	28 अप्रैल तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
7	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	4 मई तक	संबंधित अभिभावक
8	बालकों का विद्यालय में प्रवेश	5 मई तक	संबंधित निजी विद्यालय
9	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री	31 जुलाई तक	संबंधित निजी विद्यालय

(2) **अभिभावकों के लिए**

- गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु बालक "दुर्बल वर्ग" या "असुविधाग्रस्त समूह" से संबंधित होना चाहिए।
- "दुर्बल वर्ग" में सामान्य, बीसी, एसबीसी, एससी व एसटी वर्ग के वे बालक सम्मिलित हैं, जिनके अभिभावक का नाम बीपीएल सूची में है।
- "असुविधाग्रस्त समूह" में अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अनाथ बालक, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता–पिता / संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक एवं निःशक्तजन बालक सम्मिलित हैं।
- अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय) के किसी भी विद्यालय में ऑफ लाईन अथवा ऑन लाईन आवेदन कर सकते हैं लेकिन एक विद्यालय में एक ही तरीके से आवेदन करना होगा। प्रवेश में वरीयता ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उस वार्ड के बालकों को दी जायेगी जिसमें विद्यालय स्थित है।
- ऑफ लाईन आवेदन के लिए अभिभावकों को आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज सलंग्न कर निर्धारित तिथि तक विद्याालय मे जमा कराना होगा। विद्यालय से आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अभिभावकों द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने की स्थिति में अपने कैचमेन्ट एरिया के अधिकतम दस विद्यालयों का चयन एक साथ किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर लॉटरी के उपरान्त प्रवेश हेतु इच्छित विद्यालय में जमा कराना होगा।
- ऑफ लाईन तथा ऑन लाईन आवेदन करने वाले समस्त अभिभावकों को लॉटरी द्वारा वरीयता सूची जारी होने के बाद पॉच कार्य दिवस के अन्दर निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र को भरकर प्रवेश हेतु इच्छित विद्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा। रिपोर्ट नहीं करने पर विद्यालय द्वारा बालक के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S. निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर